INDEX Starred Assembly Question No. *58 Listed on 29.08.2023

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	Reply of Starred Assembly Question No. *58 (in English)	1
2	Note for Pad (in English)	2-4
3	Reply of Starred Assembly Question No. *58 (in Hindi)	5
4	Note for Pad (in Hindi)	6-8

NOTE FOR PAD

As part of the Budget Speech for the Fiscal Year 2023-24, the Hon'ble Chief Minister of Haryana announced the commencement of the release of new tubewell connections applied for between 2019 and 2021. These connections will be released in two categories: connections up to 10 BHP will be provided through HAREDA on the solar mode, and connections above 10 BHP and up to 35 BHP will be released by the DISCOMs. The relevant part of the speech is reproduced as under:-

"The release of tubewell connections to existing applicants is likely to be completed soon. In 2023-24, I propose to start the release of tubewell connections for those who applied in the period from 2019 to 2021 after completion of all formalities where the tubewell is upto 35 HP and the farmer is willing to install an energy efficient pumpset. Installation of micro irrigation systems has been made mandatory in villages where ground water table has gone below 100 feet according to the survey of the Haryana Water Resources Authority. Request for tubewell connections upto 10 HP will be covered under PM-KUSUM and will be released on solar power."

- 2. Consequently, UHBVN and DHBVN issued instructions for issuing demand notices to all eligible consumers on 25.05.2023 and 30.05.2023, respectively, vide Sales Circular no. U-06/2023 and D-17/2023. As per the instructions, the demand notices are to be issued within 15 days by all the SDOs (OP) from the date of issuance of Sales Circular to all the eligible applicants through registered post for deposition of Rs.30,000/- as consent money within a period of three months from the date of issue of demand notice. The consent money will later be adjusted against infrastructure costs.
- 3. The progress of issuance of demand notices and deposition of consent money/infrastructure in UHBVN as on 10.08.2023 is given as under: -

Total no. application received (above 10 and upto 35 BHP)	Total no. of demand notice issued	No. of applicant deposit consent money	No. of notice served to deposit infra cost	No of case where infra. cost has been deposited by the eligible applicant
11130	11119	5634	73	19

Note: Demand Notices to the 11 Nos. applicant have not been issued due to no ownership proof submitted by the applicant.

4. For further release of tubewell connections, further course of action shall be as under:-

a) Cost of Electrical Infrastructure:-

After depositing the consent money, applicants will be required to deposit actual cost of electrical infrastructure in accordance to HERC (Duty to Supply Electricity on Request, Power to Recover Expenditure in Providing Supply and Power to Require Security) Regulation, 2016 and 1st amendment, 2020. The relevant content of the regulation are given as under: -

"Actual expenditure to be incurred for release of connection which shall include cost of LT/HT line and that of distribution transformer. In case more than one consumers are released connections from the same transformer, the cost of distribution transformer shall be shared on prorata basis corresponding to the load of each consumer."

b) Installation of Micro Irrigation/Under Ground Pipeline System: -

On account of excessive exploitation of ground water, the condition of installation of Micro Irrigation/Under Ground Pipeline System has been made mandatory as under:-

- (i) In villages where water table is available upto 100 ft. from ground surface, applicant/farmer shall have option of installation of Under Ground Pipeline System or Micro Irrigation Systems for release of new tubewell connections. In case of UGPL, Self-certification from applicant for installation of UGPL system shall suffice that shall be cross verified by the Area incharge before release of tubewell connections.
- (ii) In villages where water table is below 100 ft. from ground surface, installation of Micro Irrigation Systems shall be the pre-requisite condition for release of new tubewell connections,. For this purpose, farmer/applicant can install any type of Micro Irrigation System for example Sprinkler irrigation system, Drip irrigation system and/or Mini Sprinkler irrigation system.

c) Installation of 3 Star Rated (5 star before 01.02.2020) Energy Efficient Motor Pumpsets

- (i) All such tubewell connections shall be allowed to be released with 3 Star rating (5 star before 01.02.2020) submersible motor pumpsets.
- (ii) The applicant/farmer shall procure their 3 Star (earlier 5 star) submersible motor-pumpset directly through the designated dealers of M/s Oswal Pumps Ltd, NH-1, kutail Road, PO Kutail, Madhuban, Karnal that has been empanelled by the Nigam for this purpose.
- (iii) The maximum selling price including design, manufacture, site survey, supply, erection, installation, commissioning and testing (with 5 year warranty) of BEE 3 star rated submersible pumpsets that could cost to the applicants/farmers by M/s Oswal Pumps Ltd., Karnal is given as under: -

Name of Firm	Rating	All inclusive FOR destination FIRM rate (inclusive F&I, GST etc. (in Rs/Unit.)
	ЗНР	21704
	5HP	25707
	7.5HP	30659
M/s Oswal Pumps Ltd, NH- 1,kutail Road, PO Kutail,	10HP	34557
	12.5HP	38034
Madhuban, Karnal	15HP 45620	45620
	17.5HP	45725
	20HP	53416
	25HP	60264
	30HP	67955

(iv) In addition to the option of buying pumpset from the Nigam empanelled vendor i.e., M/s Oswal Pumps Ltd., Karnal, the applicant/farmer shall also have the option to procure their BEE certified 3 Star (earlier 5 star) submersible motor-pumpset upto 35 BHP from the designated dealers of the following firms:

Sr. No.	Name of firm	
1	M/s La-Gajjar machineries Pvt. Ltd	
2	M/s C.R.I. Pumps Pvt. Ltd.	

3	M/s Duke Plasto Technique Pvt. Ltd.
4	M/s Aquasub Engineering.
5	M/s Lubi Industries LLP
6	M/s Singla Motor Pvt. Ltd., Karnal (MSME)
7	M/s Anil Pumps Pvt. Ltd., Karnal (MSE)

d) Payment of interest

- i. Interest shall be given at the rate applicable on ACD on the cost deposited by the new tubewell applicants against Consent Money, and amount towards electrical infrastructure, if the connections are not released within six months.
- ii. The interest shall become due as detailed below:-
 - (a) Consent money From the date of deposition.
 - (b) Cost for infrastructure * After six months from the date of (Estimated cost minus Consent money) deposition of infrastructure cost.
 - * If connection is not released within six months (from the date of deposition of infrastructure cost) due to reasons not attributable to the farmers/applicants.
- 5. All the tubewell connections are likely to be given by March, 2024.

पैड के लिए नोट

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण के हिस्से के रूप में, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने 2019 और 2021 के बीच आवेदन किए नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की शुरुआत की घोषणा की। ये कनेक्शन दो श्रेणियों में जारी किए जाएंगे,10 बीएचपी के तक कनेक्शन हरेडा के माध्यम से सोलर मोड पर दिए जाएंगे, और 10 बीएचपी से ऊपर 35 बीएचपी तक के कनेक्शन निगम (डिस्कॉमस) द्वारा जारी किए जाएंगे। भाषण का तर्कसंगत भाग निम्न प्रकार पूनः प्रस्तुत हैं: -

"मौजूदा आवेदकों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करना जल्द ही पूरा होने की संभावना है। 2023-24 में, मैं सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 2019 से 2021 तक की अवधि में आवेदन करने वालों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की शुरूवात करने का प्रस्ताव करता हूं, जहां ट्यूबवेल 35 एचपी तक है और किसान ऊर्जा कुशल पंपसेट स्थापित करने का इच्छुक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 10 एचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के अनुरोध को पीएम-कुसुम के तहत कवर किया जाएगा और इसे सौर ऊर्जा पर जारी किया जाएगा।"

- 2. परिणामस्वरूप, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने बिक्री परिपन्न संख्या यू-06/2023 और डी-17/2023 के अनुसार सभी पात्र उपभोक्ताओं को क्रमशः 25.05.2023 और 30.05.2023 को डिमांड नोटिस जारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, डिमांड नोटिस जारी होने की तिथि से तीन महीनों की अविध के अन्दर सहमित राशि के रूप में 30,000/- रुपये जमा करने के लिए सभी पात्र आवेदकों को सभी एसडीओ (परिचालन) द्वारा बिक्री परिपन्न जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर डिमांड नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से जारी किए जाने है। जमा की गई सहमित राशि बाद में बिजली के ढांचे की कीमत में समायोजित कर दी जाएगी।
- 3. 10.08.2023 तक यूएचबीवीएन में मांग पत्रों को जारी करने और सहमति राशि/ढांचे की जमा करने की प्रगति निम्न प्रकार है:-

कुल प्राप्त आवेदन (10	जारी डिमांड	सहमति राशि जमा	ढ़ांचा लागत जमा	कुल संख्या जहां
बीएचपी से ऊपर तथा	नोटिस की	कराने वाले	करने के लिए दिए गए	ढ़ांचा लागत पात्र
35 बीएचपी तक)	कुल संख्या	आवेदकों की संख्या	नोटिस की संख्या	आवेदक द्वारा जमा
				करवाई गई है
11130	11119	5634	73	19

नोटः आवेदक द्वारा कोई स्वामित्व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण 11 आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी नहीं किए गए है।

- 4. ट्यूबवेल कनेक्शन आगे जारी करने के लिए आगामी कार्रवाई का निर्धारण निम्नलिखित रूप में होगा-
- ए) विद्युत ढांचे की लागतः-

सहमित राशि जमा करने के बाद, आवेदकों को HERC (अनुरोध पर बिजली प्रदान करने का कर्तव्य, प्रदान करने में खर्च की मद को वसूल करने की शक्ति और सुरक्षा की मांग करने की शिक्त) नियमावली, 2016 और पहला संशोधन, 2020 के अनुसार विद्युत ढांचे की वास्तविक लागत जमा करनी होगी। नियमावली की प्रासंगिक सामग्री निम्नलिखित है:-

"कनैक्शन जारी करने के लिए उठाए जाने वाला वास्तविक खर्च जिसमें एलटी/एचटी लाईन तथा वितरण ट्रांसफार्मर की लागत शामिल होगी। यदि उसी ट्रांसफार्मर से एक से अधिक उपभोक्ताओं को कनैक्शन जारी किए जाते हैं, तो वितरण ट्रांसफार्मर की लागत प्रत्येक उपभोक्ता के लोड के अनुरूप समानुपातिक आधार पर बांटी जाएगी।"

बी) सूक्ष्म सिंचाई/भूमिगत पाइपलाईन प्रणाली की स्थापनाः-जलभंडार की अत्यधिक शोषण के कारण, माइक्रो सिंचाई/अंडर ग्राउंड पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की शर्त को निम्नलिखित रूप में अनिवार्य किया गया है –

- (i) जिन गांवों में भूजल स्तर जमीन की सतह से 100 फीट से नीचे है, वहां नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पूर्व-अपेक्षित शर्त होगी। इस उद्देश्य के लिए, किसान/आवेदक किसी भी प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर सकता है, उदाहरण के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, डिप सिंचाई प्रणाली और/या मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली।
- (ii) उन गांवों में जहां भूजल स्तर जमीन की सतह से 100 फीट तक उपलब्ध है, वहां नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदक/किसान के पास अंडर ग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने का विकल्प होगा। यूजीपीएल के मामले में, यूजीपीएल प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक से स्वयं-प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा जिसे ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने से पहले क्षेत्र प्रभारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सी) 3 स्टार रेटिड (01.02.2020 से पहले 5 स्टार) ऊर्जा कुशल मोटर-पम्पसेटों की स्थापनाः-
 - (i) सभी ऐसे नलकूप कनैक्शन 3 स्टार रेटिड (01.02.2020 से पहले 5 स्टार) सबमर्सिबल मोटर पम्पसेटों के साथ जारी करने की अनुमति होगी।
 - (ii) आवेदक/किसान अपना 3 स्टार (पहले 5 स्टार) सबमर्सिबल मोटर पम्पसेट सीधे मैसर्ज ओसवाल पम्पस लिमिटेड, एनएच-1, कुटैल रोड, पीओ कुटैल मधुबन, करनाल के नामांकित डीलर से खरीदेंगे जो इस उद्देश्य के लिए निगम द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।
 - (iii) बीईई 3 स्टार रेटिड सबमर्सिबल पम्पसेटों की डिजाईन, निर्माण, साईट सर्वे, सप्लाई, इरेक्शन, स्थापना, कमीशनिंग तथा टेस्टिंग (5 वर्ष की वारंटी के साथ) सिहत अधिकतम बिक्री मूल्य जिसकी लागत आवेदकों/किसानों को मैसर्ज ओसवाल पम्पस लिमिटेड, करनाल को देनी होगी जो नीचे दी गई है:-

फर्म का नाम	रेटिंग	गन्तव्य स्थान हेतु सब मिलाकर फर्म के
		रेट (एफ एण्ड आई, जीएसटी आदि
		सहित (यूनिट/रू. में)
	3 एचपी	21704
	5 एचपी	25707
	7.5 एचपी	30659
मैसर्ज ओसवाल पम्पस लिमिटेड, एनएच-1,	10 एचपी	34557
कुटैल रोड़, पीओ कुटैल मधुबन, करनाल	रनाल 12.5 एचपी 38034	38034
	15 एचपी	45620
	17.5 एचपी	45725
	20 एचपी	53416
	25 एचपी	60264
	30 एचपी	67955

(iv) निगम के सूचीबद्ध विक्रेता अर्थात् मैसर्ज मैसर्ज ओसवाल पम्पस लिमिटेड, करनाल से पम्पसेट खरीदने के विकल्प के अतिरिक्त, आवेदक/किसान के पास निम्नलिखित फर्मों के नामांकित डीलरों से भी 35 बीएचपी तक के अपने बीईई प्रमाणित 3 स्टार (पहले 5 स्टार) सबमर्सिबल मोटर पम्पसेट खरीदने का विकल्प होगा:-

क्र. सं.	फर्म का नाम
1	मैसर्ज ला-गुजर मशीनरिज प्राईवेट लिमिटेड
2.	मैसर्ज सी.आर.आई. पम्पस प्राईवेट लिमिटेड
3.	मैसर्ज डयूक प्लास्टो टेकनिक प्राईवेट लिमिटेड
4.	मैसर्ज एक्वासब इंजीनियरिंग
5.	मैसर्ज लूबी इंडस्ट्रीज एलएलपी
6.	मैसर्ज सिंगला मोटर प्राईवेट लिमिटेड, करनाल (एमएसएमई)
7.	मैसर्ज अनिल पम्पस प्राईवेट लिमिटेड, करनाल (एमएसई)

डी) ब्याज का भुगतान

- i. नए नलकूप आवेदकों द्वारा जमा की गई सहमित राशि और बिजली ढांचे की राशि पर एसीडी पर लागू दर पर ब्याज दिया जाएगा, यदि कनैक्शन छह महीनों के अन्दर जारी नहीं किए जाते-
- ii. ब्याज नीचे दिए गए विवरण के अनुसार देय होगाः-
- (ए) सहमति राशि जमा करने की तिथि से।
- (बी) बिजली ढांचे की लागत* बुनियादी ढांचे की लागत जमा करने की तिथि (अनुमानित लागत माईनस सहमित राशि) से छह महीनों के बाद।

*यदि, किसानों/आवेदकों की गलती ना होने के कारण, कनैक्शन छह महीनों (बुनियादी ढ़ांचे की लागत जमा करने की तिथि से) के अन्दर जारी नहीं किया जाता है।

5. सभी ट्यूबवेल कनेक्शन मार्च, 2024 तक दिए जाने संभावित है।